



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102024-257638  
CG-DL-E-03102024-257638

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]  
No. 268]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2024/अश्विन 8, 1946  
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024/ ASVINA 8, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)  
जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2024

मामला सं. एडी (ओआई) 36/2024

विषय: वियतनाम से कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 06/38/2024-डीजीटीआर: कम्पाउंड्स एंड मास्टरबैच मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जिसे आगे संयुक्त रूप से "सीएमएमआई" कहा गया है) और मास्टरबैच मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे आगे संयुक्त रूप से "एमएमए" कहा गया है) (जिसे आगे संयुक्त रूप से "आवेदक" या "याचिकाकर्ता" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली या एडी नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी या (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें

वियतनाम (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच” (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का लंबे समय से भारी मात्रा में पाटित कीमतों पर आयात किया जा रहा है जिससे उसे वास्तविक क्षति हुई है और वास्तविक क्षति का खतरा है तथा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

#### क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच” है जिसे “फिलर मास्टरबैच” या “कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड” के रूप में भी जाना जाता है।
4. कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच कैल्शियम कार्बोनेट (एक खनिज), पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीइथिलीन जैसी मूल प्लास्टिक सामग्री और अन्य अभिवर्धकों का एक मिश्रण है। उक्त मिश्रण यौगिक दाने के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच के उत्पादन के लिए कथित तापमान पर उक्त मिश्रण से निकाला जाता है। पीयूसी में अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट होता है जबकि शेष चीजें प्लास्टिक और अन्य अभिवर्धक हैं।
5. कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच प्लास्टिक मदों की विशेषताओं को बढ़ाने के लिए प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त एक विशेष सामग्री होता है, का मुख्य कार्य लागत कुशल और पर्यावरण अनुकूल फिलर बनना है जिसमें विशिष्ट भौतिक और रासायनिक विशेषताएं हों।
6. अनेक उद्योग कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच का प्रयोग करते हैं जैसे पैकेजिंग, निर्माण, ऑटोमोटिव और उपभोक्ता सामान। प्लास्टिक में मिलाने पर कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच उन्हें मजबूत बनाता है जिनके टूटने की संभावना कम होती है, अपने आकार में बेहतर होते हैं और उनके सिकुड़ने की संभावना कम होती है।
7. कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच इसमें भी परिवर्तन कर सकता है कि प्लास्टिक सतह पर कैसा महसूस होता है, वह तापमान को कैसे संभालता है और उसके साथ कार्य करना कितना सरल है। इसे प्रायः प्लास्टिक फिल्म, शीट, पाइप, आकार की मदें और अन्य प्लास्टिक वस्तुओं को बनाने में प्रयोग किया जाता है।
8. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची की टैरिफ मद 3824 99 00 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है। प्रमुख आयातों को टैरिफ 3824 99 00 के अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
9. आवेदकों ने वर्तमान जांच में उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) का प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस जांच के प्रयोजनार्थ प्रस्तावित पीयूसी/ पीसीएन के संबंध में अपनी टिप्पणियां / सुझाव दे सकते हैं।

**ख. समान वस्तु**

10. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई ज्ञात खास अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

**ग. संबद्ध देश**

11. वर्तमान जांच में संबद्ध देश वियतनाम है।

**घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

12. यह आवेदन दो एसोसिएशनों सीएमएमआई और एमएमए द्वारा अपनी सदस्य कंपनियों की ओर से दायर किया गया है जो पीयूसी के घरेलू उत्पादक हैं। यह दावा किया गया है कि संबद्ध वस्तु अधिकांश भारतीय विनिर्माता छोटे और असंगठित क्षेत्र के हैं। आवेदकों ने बताया है कि उनकी सदस्य कंपनियों का भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन में 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनता है।
13. संबद्ध वस्तु के ऐसे 12 आवेदक घरेलू उत्पादक हैं जिन्होंने बिखरे हुए उद्योगों के लिए व्यापार सूचना 9/2021 के अनुबंध-ii में अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत की है। यह दावा किया गया है कि ये 12 आवेदक घरेलू उत्पादक पीओआई के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन के 35 प्रतिशत से अधिक को दर्शाते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदकों का उत्पादन पीयूसी के कुल घरेलू उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक है।
14. इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि 12 आवेदक घरेलू उत्पादक तथा 21 स्पष्ट रूप से समर्थक कंपनियां जिन्होंने समर्थक प्रपत्र में अपेक्षित सूचना दी है, मिलकर भारत में संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का 55 प्रतिशत से अधिक है।
15. 12 आवेदक घरेलू उत्पादकों और 21 स्पष्ट समर्थक कंपनियों में से केवल एक कंपनी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का मामूली आयात किया है। कोई भी आवेदक घरेलू उत्पादक और स्पष्ट रूप से समर्थक कंपनी संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों / निर्यातकों से संबंधित नहीं है।
16. आवेदकों ने प्रमाणित किया है कि संबद्ध देश से याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का 0.23 प्रतिशत आयात किया गया है। उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी प्रथमदृष्ट्या नोट करते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं।

**ड. कथित पाटन का आधार****i. सामान्य मूल्य**

17. वियतनाम में सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए आवेदकों ने दावा किया है कि वियतनाम में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमत या उत्पादन लागत से संबंधित आंकड़े इस समय सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं हैं। अतः आवेदकों ने तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए यथा समायोजित उत्पादन लागत के सर्वोत्तम उपलब्ध अनुमानों के लिए वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है।

18. सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए आवेदकों ने वियतनाम में कच्ची सामग्री की लागत के उपलब्ध अनुमानों के साथ घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत और तर्कसंगत लाभ मार्जिन को जोड़कर कारखानाद्वारा सामान्य मूल्य ज्ञात करने के लिए उनका उपयोग किया है।

### ii. निर्यात कीमत

19. आवेदकों ने निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए बाजार आसूचना के अनुसार सूचित सीआईएफ कीमत का दावा किया है। तथापि, प्राधिकारी ने जांच के प्रयोजनार्थ डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है। मालभाड़ा लागत, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय मालभाड़ा, लोडिंग और अनलोडिंग प्रभार के लिए कारखानाद्वारा निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु समायोजनों का दावा किया गया है।

### iii. पाटन मार्जिन

20. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वारा स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या दर्शाती है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल अधिक है, बल्कि काफी अधिक है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

### च. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

21. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदकों ने समग्र तथा भारत में उत्पादन तथा खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि, कीमत कटौती और घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि उनके निष्पादन पर संबद्ध देश से पाटित कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद के भारी आयातों के कारण उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आवेदकों ने पाटित आयातों में भारी वृद्धि और संबद्ध देश में अत्यधिक क्षमता और उत्पादन जो पाटित कीमतों पर निर्यात बाजारों के लिए लक्षित है, के कारण आगे वास्तविक क्षति के खतरे का भी दावा किया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग के क्षति होने के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं।

### छ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

22. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों की मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की

धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतद्वारा जांच की शुरूआत करते हैं।

#### ज. जांच की अवधि

23. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 और पीओआई की अवधि शामिल होगी।

#### झ. प्रक्रिया

24. एडी नियमावली के नियम 6 में यथा प्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच के लिए पालन किया जाएगा।

#### ञ. सूचना प्रस्तुत करना

25. प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों [dir14-dgtr@gov.in](mailto:dir14-dgtr@gov.in), [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in), [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in) और [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
26. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथा विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
27. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
29. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए वे प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

#### ट. समय सीमा

30. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार उस तारीख से जब उसे प्राधिकारी द्वारा भेजा गया या निर्यातक देश द्वारा उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिया गया, 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों [dir14-dgtr@gov.in](mailto:dir14-dgtr@gov.in), [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in), [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in) और [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in) पर भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
31. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
32. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए।

#### ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

33. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को एडी नियमावली के नियम 7 (2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन नहीं करने पर उत्तर / अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
34. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) करने वाले किसी पक्षकार को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
35. अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
36. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
37. अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का अनुकृति होना अपेक्षित है।

38. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और एडी नियमावली के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार कारणों का एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांश क्यों संभव नहीं है। घरेलू उद्योग सहित अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे संबंधी अपने टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
39. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
40. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या एडी नियमावली के नियम 7 और उचित व्यापार सूचना के अनुसार गोपनीयता के दावे के उचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।
41. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

42. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई मेल के जरिए भेज दें।

#### ढ. असहयोग

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि या प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है और अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**

(Directorate General of Trade Remedies)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2024

**Case No. AD(OI)-36/2024**

**Subject: Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of Calcium Carbonate Filler Masterbatch from Vietnam.**

**F.No.06/38/2024-DGTR-** Compounds and Masterbatch Manufacturers Association of India (hereinafter collectively referred to as “CMMAI”) and Masterbatch Manufacturers Association (hereinafter collectively referred to as “MMA”) (hereinafter collectively referred to as “applicants” or “petitioners”) have filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules” or the “AD Rules”) for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Calcium Carbonate Filler Masterbatch” (hereinafter referred to as the “subject goods” or the “product under consideration”), originating in or exported from Vietnam (hereinafter referred to as the “subject country”).

2. The applicants have alleged that the subject goods are being imported into India, originating in or exported from the subject country at dumped prices in significant quantities for a prolonged period, causing material injury and threat of material injury to it and have requested for imposition of anti-dumping duty on the import of the subject goods from the subject country.

**A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

3. The product under consideration in the present investigation is "Calcium Carbonate Filler Masterbatch" which is also known as "Filler Masterbatch" or "Calcium Carbonate Compound."
4. Calcium Carbonate Filler Masterbatch is a mix of calcium carbonate (a mineral), base plastic materials like polypropylene or polyethylene, and other additives. The said mixture is extruded at a certain temperature to produce the Calcium Carbonate Filler Masterbatch in compound granules form. The PUC majorly constitutes calcium carbonate, with the rest being plastics and other additives.
5. Calcium Carbonate Filler Masterbatch is a special material used in the plastic industry for enhancement of properties of plastic items. Its main job is to be a cost effective and eco-friendly filler imparting specific physical and chemical properties.
6. Many industries use Calcium Carbonate Filler Masterbatch, such as packaging, construction, automotive and consumer goods. When added to plastics, Calcium Carbonate Filler



Masterbatch can make them stronger, less likely to break, better at keeping their shape, and less likely to shrink.

7. Calcium Carbonate Filler Masterbatch can also change how plastic feels on the surface, how it handles heat, and how easy it is to work with. It is often used to make plastic films, sheets, pipes, shaped items, and other plastic goods.
8. The product under consideration is classifiable under tariff item 3824 99 00 of the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975. Major imports are cleared under tariff item 3824 99 00. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration in the present petition.
9. The applicants have not proposed the Product Control Numbers (PCNs) in the present investigation. The interested parties, however, can provide their comments/suggestions on the proposed PUC/PCNs for the purpose of this investigation within 30 days from the date of initiation of this investigation.

#### **B. LIKE ARTICLE**

10. The applicants have claimed that there is no known significant difference in the product produced by the domestic industry and those exported from the subject country. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country is comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and are used by consumers interchangeably. Hence, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants are being treated by the Authority as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

#### **C. SUBJECT COUNTRY**

11. The subject country in the present investigation is Vietnam.

#### **D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

12. The application has been filed by the two associations CMAAI and MMA on behalf of the member companies that are domestic producers of PUC. It has been claimed that most of the Indian manufacturers of the subject goods are small and in the unorganized sector. The applicants have stated that their member companies constitute more than 90% of the total production of product under consideration in India.
13. There are twelve applicant domestic producers of subject goods who have filed the required information in Annexure-I to Trade Notice 9/2021 for fragmented industries. It has been claimed that these twelve applicant domestic producers comprise more than 35% of the total domestic production of subject goods in India during the POI. From the information available, the applicants' production constitutes more than 25% of the total domestic production of PUC.

14. Further, it has been claimed that the twelve applicant domestic producers along with the twenty-one expressly supporting companies who have provided the required data in supporters' format constitute more than 55% of the total domestic production of subject goods in India.
15. Out of the twelve applicant domestic producers and twenty-one expressly supporting companies only one company has imported miniscule quantities of subject goods from subject country. None of the applicant domestic producers and expressly supporting companies are related to producers/ exporters of subject goods in subject country.
16. The applicants have certified that there is 0.23% of imports of the product under consideration by the petitioner companies from the subject country. On the basis of the information available, the Authority notes *prima facie* that the applicants constitute "domestic industry" under within the meaning of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the AD Rules.

## **E. BASIS OF ALLEGED DUMPING**

### **i. Normal Value**

17. To evaluate the normal value for Vietnam, the applicants have claimed that the data relating to the domestic selling prices or the cost of production of the product under consideration in Vietnam is not available in the public domain at this stage. Therefore, the applicants have constructed the normal value for Vietnam as per the best available estimates of the cost of production, as adjusted for reasonable profit margin.
18. To construct the normal value, the applicants have taken the available estimates of raw material costs in Vietnam with addition of conversion cost of domestic industry and reasonable profit margin to arrive at the ex-factory normal value.

### **ii. Export Price**

19. The applicant has claimed the CIF price reported as per market intelligence for the determination of export price. However, the Authority for the purpose of the investigation has relied upon the DG Systems data. Adjustments on account of freight cost, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, inland freight, loading and unloading charges have been made to determine the ex-factory export price.

### **iii. Dumping Margin**

20. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the de-minimis level and is significant in respect of the product under consideration from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.

## **F. INJURY AND CAUSAL LINK**

21. Information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished evidence regarding the injury as a result of the alleged dumping in the form of significant increase in volume of dumped imports in absolute as well as in relative terms in comparison to the production and consumption in India, price undercutting and price depressing and suppressing effect on the domestic industry. The applicants have claimed that their performance has been adversely impacted in respect of production, sales, capacity utilisation, market share, profits, cash profits, and return on capital employed due to the significant imports of the product under consideration from the subject country at dumped prices. The applicants have also claimed a further threat of material injury on account of significant increase of dumped imports and excess capacity and production in the subject country targeted for export markets at dumped prices. There is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from the subject country.

#### **G. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION**

22. On the basis of the duly substantiated written application filed by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, about the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

#### **H. PERIOD OF INVESTIGATION**

23. The period of investigation for the present investigation is from 1<sup>st</sup> April 2023 to 31<sup>st</sup> March 2024 (12 months). The injury investigation period will be 1<sup>st</sup> April 2020 to 31<sup>st</sup> March 2021, 1<sup>st</sup> April 2021 to 31<sup>st</sup> March 2022, 1<sup>st</sup> April 2022 to 31<sup>st</sup> March 2023 and the POI.

#### **I. PROCEDURE**

24. The principles as stipulated under Rule 6 of the AD Rules shall be followed in the present investigation.

#### **J. SUBMISSION OF INFORMATION**

25. All communication should be sent to the Authority via email at email addresses [dir14-dgtr@gov.in](mailto:dir14-dgtr@gov.in), [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in), [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in) and [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in). It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

26. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules and the applicable trade notices issued by the Authority.
27. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed by this initiation notification, the AD Rules and the applicable trade notices issued by the Authority within the time-limit mentioned in this initiation notification.
28. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
29. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

#### **K. TIME LIMIT**

30. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses [dir14-dgtr@gov.in](mailto:dir14-dgtr@gov.in), [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in), [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in) and [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in) within thirty days from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per of Rule 6(4) of the AD Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
31. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
32. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules and such request must come within the time stipulated in this notification.

#### **L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS**

33. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
34. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

35. The submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
36. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
37. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
38. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within seven 7 days of receipt of the non-confidential version of the documents.
39. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
40. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules and appropriate trade notices on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
41. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

#### **M. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

42. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

**N. NON-COOPERATION**

43. In case where an interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority